भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अंतारांकित प्रश्न संख्या: 2280
दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
तीसरी लहर और डेल्टा वैरिएंट

2280. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

श्री संजय जाधव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के उपचार के लिए दिशानिर्देश जारी करने सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन करने में लोगों की ओर से ढिलाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में डेल्टा और डेल्टा प्लस प्रकार के राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रवार कितने मामले सामने आए हैं;

(घ) क्या कोरोना के नए प्रकार के विरुद्ध टीकाकरण बहुत प्रभावी नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कोरोना के नए प्रकार को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): भारत सरकार महामारी की शुरुआत से ही कोविड-19 का प्रबंधन करने के प्रयास में राज्यों को सहयोग प्रदान कर रही है। कोविड-19 और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के विरुद्ध तैयारी और अनुक्रिया संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपेक्षित तकनीकी, लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

कुछ क्रियकलाप नीचे दिए गए हैं:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखे हुए है। अभी तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 150 से अधिक दिशा-निर्देश/ परामर्शिकाएं/ एसओपी/ योजनाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी एसओपी/ दिशानिर्देशों/ परामर्शिकाओं में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों (मास्क/ फेस कवर करना, शारीरिक दूरी रखना, श्वसन और हाथ संबंधी स्वच्छता) का पालन करने पर जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत समय-समय पर जारी आदेशों में गृह मंत्रालय ने भी इसे बार- बार दोहराया है।

- कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों का पालन सुनिश्चित करने के मुद्दे को औपचारिक संचार के साथ-साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कांन्फ्रेसों के माध्यम से दोहराया गया है। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, सामुदायिक नेताओं, राय निर्माताओं, समुदाय आधारित संगठनों, बाजार/ व्यापारी संगठनों आदि की सहभागिता के माध्यम से कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार संबंधी आईईसी क्रियाकलापों को और अधिक सुदृढ़ करें।

- कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देशों को उभरते वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ लगातार अद्यतन किया जा रहा है। वयस्कों के लिए उपचार प्रोटोकॉल को पिछली बार 24 मई 2021 को अद्यतन किया गया था और इसे व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

- बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए दिनांक 18 जून 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए। कोविड- 19 संबंधी दिशानिर्देश में कोविड-19 के तीव्र विद्यमानता के प्रबंधन के साथ-साथ बच्चों और किशोरों में मल्टीसिस्टम इंफ्लेमैट्री सिंड्रोम (एमआईएस-सी), जो अस्थायी रूप से पाया गया है, के प्रबंधन संबंधी दिशा- निर्देश को कवर किया गया है।

- राज्यों को लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति के मामले में सहयोग प्रदान किया जाता है जिसमें पीपीई किट्स, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर्स, औषधियां आदि शामिल हैं।

- फार्मास्यूटिकल्स विभाग, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा संयुक्त रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाइओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इनके उत्पादन और उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाती है।

- आपातकालीन कोविड-19 अनुक्रिया और तैयारी पैकेज के अंतर्गत सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोविड-19 रोगियों के नैदानिक प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली चिन्हित औषधियों के बफर स्टॉक सहित अवसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तपोषण संबंधी सहयोग प्रदान किया गया है।

देश में सूचित डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामलों की संख्या का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुलग्नक** दिया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेल्टा प्लस डेल्टा की एक उप जाति है जिसमें स्पाइक में तीन म्यूटेशन (के417एन, वी70एफ, और डब्ल्यू258एल) है। इन्हें एवाई 1, एवाई 2, एवाई 3 और एवाई 4.2 उपजाति में देखा गया है।

वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए भारत में उपयोग किए गए टीके इन नए वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी नहीं हैं।

सार्स-कोव-2 वायरस के कई म्यूटेटेड वेरिएंट का विश्व स्तर पर पता चला है। इस संबंधित जानकारी को वैश्विक स्तर पर सार्स-कोव-2 वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली प्रयोगशालाओं द्वारा साझा किया जाता है। ऐसे म्यूटेटेड वेरिएंट की रिपोर्टों के प्रत्युत्तर में समय- समय पर 'अंतर्राष्ट्रीय आगमन संबंधी दिशानिर्देशों' की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इनमें संशोधन किया जा रहा है। इन्हें अंतिम बार दिनांक 30 नवंबर 2021 को अद्यतन किया गया था जिसमें भारत पहुंचने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत आगमन से पहले 72 घंटे के भीतर किए गए कोविड-19 परीक्षण की नेगेटिव कोविड-19 आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, 'जोखिम' के रूप में नामित देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद अतिरिक्त दो बार (आगमन वाले दिन और 8 वें दिन) परीक्षण से गुजरना अपेक्षित है और उन्हें भारत में आगमन के बाद 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वॉरन्टीन से भी गुजरना आवश्यक है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी समन्वय स्थापित किया है और राज्यों को चिंताजनक वेरिएंट बी.1.1.529 (ओमिक्रोन वेरिएंट) के खिलाफ एहतियाती उपायों का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए हैं । इनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- ''जोखिम वाले'' देशों से आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की पहले दिन नमूनों की जांच करना और 8वें दिन पुन: जांच करना तथा अन्य मामलों में रैंडम नमूना लेना।
- समाज में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की मॉनीटरिंग करना।
- पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्कों का पता लगाना तथा 14 दिन के लिए अनुवर्तन करना।
- पॉजिटिव पाए गए सभी नमूनों को जीनोम-सीक्वेंसिंग के लिए इन्साकाग प्रयोगशालाओं को उपयुक्त तरीके से भेजना।
- उन क्षेत्रों की निरंतर मॉनीटरिंग करना जहां पॉजिटिव मामले अधिक संख्या में सामने आए हैं।
- जांच अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना।
- आरटी-पीसीआर अनुपात को कायम रखते समय सभी राज्यों में पर्याप्त जांच के माध्यम से मामलों का शीघ्र पता लगाने को सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य अवसंरचना (आईसीयू, ऑक्सीजन लगे बिस्तरों, वेंटिलेटर्स आदि) की तैयारी सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तथा बाल-चिकित्सा मामलों सहित आपातकालीन कोविड- 19 अनुक्रिया और तैयारी (चरण-II) पैकेज (ईसीआरपी-II) के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई स्वास्थ्य अवसंरचना का उन्नयन करना।
- सभी पीएसए संयंत्रों को आरंभ करना, पर्याप्त संभार-तंत्र, औषधि आदि सुनिश्चित करना।
- ओमिक्रॉन संबंधी उभर रहे प्रमाण मिलने पर समुदाय में अपेक्षित जागरूकता सृजन सुनिश्चित करना।
- सभी पात्र लाभार्थियों के लिए तीव्र वैक्सीन कवरेज सुनिश्चित करना।
- समुदाय द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना।

अनुलग्नक

डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की संख्या का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण (3 दिसंबर 2021)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	डेल्टा वेरिएंट	बी.1.617.1 और बी.1.617.3	एवाई 1	एवाई 2	एवाई 3	एवाई.3.1	एवाई.4.2
अंडमान निकोबार	0	1					
आंध्र प्रदेश	1993	475	2	1	9		
असम	1079	19			5	1	2
अरुणाचल प्रदेश	63	6					
बिहार	220	11					
चंडीगढ़	334	16	4				
छत्तीसगढ़	936	75					
दादरा नगर हवेली	20	0					
दिल्ली	2739	347	3		1		
गोवा	308	79	2		1		
गुजरात	686	202	2				10
हरियाणा	485	132	3				
हिमाचल प्रदेश	1027	6	1		1		
जम्मू-कश्मीर	1141	17	1				
झारखंड	353	84					
कर्नाटक	1955	279	2	3			
केरल	239	3	0	0	1		
लद्दाख।	208	3					
लक्षद्वीप	68	2					
मध्य प्रदेश	599	75	12				
महाराष्ट्र	2589	2160	9	1			1
मणिपुर	1299	6	6		1		
मेघालय	134	20					
मिजोरम	1251	0	28				
नागालैंड	191	6			1		
ओडिशा	1949	42	1				
पुद्दुचेरी	515	110					
पंजाब	1071	28	2				
राजस्थान	658	12					
सिक्किम	348	6					
तमिलनाडु	1043	221	5				4
तेलंगाना	1840	315	4		12		1
त्रिपुरा	198	15					
उत्तर प्रदेश	717	72	2				
उत्तराखंड	669	67	4		1		
पश्चिम बंगाल	2918	664	1		3		
कुल	**31843**	**5576**	**94**	**5**	**36**	**1**	**18**